न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टगण
01.भवरलाल पुत्र मोहनराम जाति सुथार निवासी नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.सरपच ग्राम पंचायत नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.पेमाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति सुथार निवासी नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिह उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 17/02/2021

अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश सरंपच ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा नामान्तरकरण सख्या 1647 दिनांक 05.08.2016 स्वीकृत प्रस्तुत की गई। उक्त नामान्तरकरण का इन्द्राज खातेदार किशन लाऔलाद फौत हुआ के उताराधिकारी की सही जॉच हल्का पटवारी द्वारा नही की गई। मृतक खातेदार किशन के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्यॉ 02 भाई थे परन्तु भाईयो के अलावा मृतक खातेदार किशन की माता चन्द्रा देवी भी जिसका देहान्त दिनाक 09.12.2018 को हो चुका है तथा ग्राम पंचायत नन्दवान ने नामान्तरकरण परत के पीछे मृतक खातेदार किशन का जो खानदान सजरा बताया है उक्त सजरे मे माता चन्द्रा देवी को ही उतराधिकारी बताया जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 02 पेमाराम भी मृतक खातेदार किशन के भाई होने के कारण उक्त सजरे मे वारिसान के रूप मे अंकित करना चाहिये था। सरपंच ग्राम पंचायत नन्दवान ने मृतक खातेदार किशन के उताराधिकारी की सही जाचॅ नही की। इस कारण से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट गण सख्या 01व 02 का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट सख्या 01,02 की ओर से श्री रूगाराम चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह निवेदन किया कि नामान्तरकरण सख्या 1647 जो दिनांक 05.08.2016 खातेदार किशन का देहान्त होनें के पश्चात चन्द्रा देवी के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया। जबकि खातेदार किशन के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 02 भी मृतक खातेदार किशन की माता चन्द्रा देवी के अलावा भी उतराधिकारी थे। ग्राम पचायत नन्दवान ने उतराधिकारीयो की जॉच करते हुये भाई अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 02 को उतराधिकारी नही माना तथा नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 02 पेमाराम मृतक किशन के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी होने के वावजूद नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी हैं इस कारण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 02 का भी प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी होने के कारण उक्त मुतनाजा आराजी मे माता श्रीमती चन्द्रा देवी के साथ बराबर हक व हिस्सा बनता है। परन्तु ग्राम पचायत नन्दवान के सरपच ने अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया गया तथा उतराधिकारीयो को सही जॉच नही की । इस कारण से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया। यह है कि ग्राम पचायत नन्दवान ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पहले अपीलाट को कोई नोटिस नही दिया तथा न ही सुनवाई का मौका दिया । इस कारण अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं इसी तरह सरपच ग्राम नन्दवान ने उक्त लैण्ड रेकर्ड एल्स की पालना नही की है तथा खातेदार स्व0 किशन के उतराधिकारीयो की सही जॉच नही की है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा अपील मे दस्तावेजो का अवलोकन किया। उक्त नामान्तरकरण सख्या 1647 जो दिनाक 05.08.206 को खातेदार किशन के लाऔलाद फौत होने के बाद एव चन्द्रा देवी के पक्ष मे नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने भी मृतक खातेदार किशन के वारिस होना बताया है। अपीलान्ट को जानकारी के अभाव मे एवं माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णयो मे प्रतिपारित किया कि म्याद जैसे तकनीक बिन्दू को क्षमा कर अपील मैरिट पर निर्णित करनी चाहिये । इस कारण से अपीलन्ट की अपील मे हुई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

देरी को क्षमा करना न्यायोचित व न्याय संगत मानते हुयें न्याद के बिन्दु मे नम्र रख अपनाते हुए अपील मे म्याद अधिनियम अन्तर्गत धारा 5 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोंचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता हैं। अपील मे प्रकट तथ्यो अनुसार ग्राम पंचायत नन्दवान ने भी अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय लैण्ड रेकर्ड रूल्स की पालना नही कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना हि नामान्तरकरण स्वीकृत किया। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण गलत दर्ज होना प्रतीत होता है जिसमे हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की पालना भी नही की है। इन तमाम परिस्थितियो मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जान न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सख्यॉ 1647 स्वीकृत दिनॉक 05.08.2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी कों रिमान्ड कर निर्देश दिये जाते है के स्व0किशन के विधिक वारिसान की मजमे –ए–आम मे जाचॅ कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को सरे इजलास मे सुनाया गया।

17/02/21

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी, (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी